कार्यालय परियोजना अधिकारी ,एकीकृत बाल विकास परियोजना मुंगेली 02
जिला मुंगेली (छ.ग.)
(विज्ञापन) **परिशिष्ट–एक**

//01//

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

कमांक /1262/बा.वि.प/स्था0/2026-27 मुंगेली दिनांक **23.11.2026** एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आगनबाडी केन्द्रो के लिये पद रिक्त होने / पद स्वीकृत होने के कारण इस पद पर नियुक्ति की जानी है । नियुक्ति हेतु आवेदन दिनाक 24.11.2026 **से** 08.12.2026 तक https://aww.e-bharti.in के माध्यम से आनलाईन किया जा सकता है।

कमांक	केन्द्र का नाम	केन्द्र कमांक	ग्राम पचायत / वार्ड तथा नगरीय निकाय का नाम	पद का नाम	शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
1	आंगनबाड़ी केंद्र पलानसरी	केंद्र कमांक 01	पलानसरी	कार्यकर्ता	10000 /-
2	आंगनबाड़ी केंद्र बुधवारा	केंद्र कमांक 01	लैकडूम	सहायिका	5000 /-

(1) आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी । सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी ।

(2) आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिये जिस ग्राम में आंगनबाडी केन्द्र स्थित है। (**शहरी क्षेत्रों मे** आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए)

(3) निवासी होने के प्रमाण मे (i) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची मे नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे अथवा (ii) ग्राम पचायत के **सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र** अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायो में की जाने वाली नियुक्ति में **वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र** जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा ।

टीपः-शासन के निर्देश कडिका 15 में उल्लेखित टीप के अनुसार यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास-प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा** ।

(4) आवेदिका की न्यूनतम **शैक्षणिक** योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वी. अथवा 11 वी. **बोर्ड उत्तीर्ण (पूर्ववर्ती या मैट्रिक पध्दति)**
आंगनबाडी सहायिका पद हेतु	8 वी.**बोर्ड** उत्तीर्ण

टीपः–उपरोक्तानुसार शहरी / ग्रामीण / आदिवासी परियोजना मे कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु **शैक्षणिक** योग्यता शिथिल मानकर 10 वी बोर्ड रखी जावेगी । इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः **शिथिल** मानकर आठवी बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पांचवी उतीर्ण रखी जावेगी । सहायिका पद मे भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता सबधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा ।

कार्यालय परियोजना अधिकारी ,एकीकृत बाल विकास परियोजना मुंगेली 02
जिला मुंगेली (छ.ग.)
(विज्ञापन) **परिशिष्ट–एक**

//01//

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

कमांक /1262/बा.वि.प/स्था0/2026-27 मुंगेली दिनांक 23.11.2026 एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आगनबाडी केन्द्रों के लिये पद रिक्त होने/पद स्वीकृत होने के कारण इस पद पर नियुक्ति की जानी है । नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 24.11.2026 **से 08.12.2026** तक https://aww.e-bharti.in के माध्यम से आनलाईन किया जा सकता है।

कमांक	केन्द्र का नाम	केन्द्र कमांक	ग्राम पचायत /वार्ड तथा नगरीय निकाय का नाम	पद का नाम	शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
1	आंगनबाड़ी केंद्र पलानसरी	केंद्र क्रमांक 01	पलानसरी	कार्यकर्ता	10000 /-
2	आंगनबाड़ी केंद्र बुधवारा	केंद्र क्रमांक 01	लैकडूम	सहायिका	5000 /-

(1) आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी । सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी ।

(2) आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिये जिस ग्राम में आंगनबाडी केन्द्र स्थित है। (**शहरी क्षेत्रों मे** आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए)

(3) निवासी होने के प्रमाण में (i) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची मे नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे अथवा (ii) ग्राम पंचायत के **सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र** अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायो में की जाने वाली नियुक्ति में **वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र** जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा ।

टीपः-शासन के निर्देश कंडिका 1.5 में उल्लेखित टीप के अनुसार यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास-प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा** ।

(4) आवेदिका की न्यूनतम **शैक्षणिक** योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वी. अथवा 11 वी. बोर्ड **उत्तीर्ण (पूर्ववर्ती या मैट्रिक पध्दति)**
आंगनबाडी सहायिका पद हेतु	8 वी.**बोर्ड** उत्तीर्ण

टीपः–उपरोक्तानुसार शहरी /ग्रामीण / आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु **शैक्षणिक** योग्यता शिथिल मानकर 10 वी. बोर्ड रखी जावेगी । इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः **शिथिल** मानकर आठवी बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पांचवीं उतीर्ण रखी जावेगी । सहायिका पद मे भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा |

यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र(मार्क शीट) ग्रेडिंग पद्धति वाला है तो उसका मूल्याकंन हेतु प्राप्तांक एवं पूर्णांक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को अंकीय पद्धति वाला (डुप्लीकेट)मार्कशीट,जो सम्बन्धित शाला का प्रधान पाठक / प्राचार्य / खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो , आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा /अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति में अंकीय पध्दति वाला (डुप्लीकेट) मार्कशीट जमा करने पर स्वीकार नही किया जावेगा

(5) अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका / सह सहायिका होने पर , गरीबी रेखा परिवार , अनुसूचित जाति / जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा ,परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

(6) विधवा / परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा (2 वर्ष से अधिक परित्यक्ता अथवा तलाक शुदा होने सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र)

(अ) विधवा – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ब) परित्यक्ता –(1). 2 वर्ष से अधिक की अवधि पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा / मान्य होगा।

(2). सम्बन्धित ग्राम पंचायत के **सरपंच तथा सचिव के द्वारा सयुंक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र** /नगर पंचायत के अध्यक्ष /नगर पालिका अथवा नगर निगम क्षेत्र में सम्बन्धित वार्ड के पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी आदेश संलग्न करना होगा।

(स) तलाकशुदा –(1). 2 वर्ष से अधिक की अवधि पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा / मान्य होगा।

(2).तलाक शुदा होने के सम्बन्ध में न्यायालयीन आदेश की प्रति संलग्न करना होगा।

(3). यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता /पेंशन प्राप्त हो रही हो तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(7) शासन के निर्देश कंडिका कमांक 1.2 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / आंगनबाड़ी सहायिका के पद **केवल महिलाओं** के लिए ही होगें ।

(8) शासन के निर्देश कंडिका कमांक 1.4 के अनुसार **01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव** रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका / संगठिका / सह संगठिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(9) शासन के निर्देश कंडिका कमांक 1.9 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदिकाओं हेतु **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र** संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(10) गरीबी रेखा का प्रभावशील सूची का प्रमाण पत्र **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत / मुख्य नगर पालिका अधिकारी ,नगर पंचायत द्वारा सत्यापित** प्रति लगाये जाने पर ही अतिरिक्त अंक दिया जावेगा ।

टीप-संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक 8513/ICDS-1/2020-21 नवा रायपुर दिनांक15.01.2021में दिए गये "सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011"के आकड़ें का उपयोग सम्बधी निर्देशानुसार **गरीबी रेखा प्रमाण पत्र** सलग्न करेंगे।

(11).शासन के निर्देश कंडिका 3 एवं 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु मूल्यांकन पत्रक में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जावेगा।

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताए है–

क्र	योग्यता	प्रदान किये जाने वाले अंक	कुल अधिकतम प्राप्तांक
1	***कार्यकर्ता पद हेतु***- 12 वीं बोर्ड अथवा ,जो भी लागू हो अथवा उपरोक्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता ***सहायिका पद हेतु***–आठवी उत्तीर्ण अथवा उपरोक्तानुसार आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता	कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के 60 प्रतिशत अंक के बराबर अंक	60
2	विधवा अथवा कम से कम दो वर्ष से अधिक समय तक परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने पर	15 अंक	15
3	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिला होने पर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र पर)	10 अंक	10
4	पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता /सहायिका / सहसहायिका होने पर	1 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव	06

		पर 6 अंक	
5	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (प्रभावशील सूची से)	6 अंक	06
6	अनुसूचित जाति / जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने पर	3 अंक	03
योग अधिकतम प्राप्तांक			**100 अंक**

टीप – छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 728 / 1098 / 2008 / मबाबि / 50 रायपुर आदेश दिनांक 02.04.2008 में दिये गये निर्देश ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा एवं इनके अनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जावेगा ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मुंगेली02 , जिला-मुंगेली(छ.ग.)

पृष्ठ क्र / /बाविप/स्था 0/2026 27

मुंगेली ,दिनांक 23.11.2026

प्रतिलिपि -

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी ,म.बा.वि ,जिला -मुंगेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), अनुभाग मुंगेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत मुंगेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
4. सभापति श्रीमति - जनपद पंचायत मुंगेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
5. सरपंच /वार्ड के पार्षद ..... को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती /श्री ..... को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित ग्राम व ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालय मुंगेली में सूचना तामिल करवाकर फोटोग्राफ सहित प्रचार -प्रसार का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
7. ग्राम कोटवार ..... को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित ग्राम व ग्राम पंचायत में विज्ञापन सम्बन्धी सूचना तामिल करवाकर मुनादी करना सुनिश्चित करें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मुंगेली02 , जिला-मुंगेली